

भारत ने पहली बार अपने परमाणु अस्त्रों को “ऑपरेशन मोड” में डाला

स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि भारत के जो परमाणु अस्त्र “भंडार” में बंद थे, उन्हें प्रक्षेपण के लिए तैयार कर, भारत ने सैन्य तत्परता में तेजी का संदेश दिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जून। परमाणु हथियार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, भारत ने पहली बार 12 परमाणु वॉरहेड “तैनात” किए हैं। यह खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की नवीनतम रिपोर्ट में किया गया है।

दुनिया की शीर्ष हथियार-निगरानी संस्था एसआईपीआरआई ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पहली

■ एसआईपीआरआई विश्व की सबसे बड़ी आर्म्स ट्रैकिंग संस्था है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पहली बार 12 परमाणु वॉर हेड तैनात किए हैं, जो भारत की दशकों पुरानी नीति में बड़ा बदलाव है। जिसके तहत परमाणु वॉर हेड एवं प्रक्षेपण सिस्टम को अलग-अलग भंडारण स्थल पर रखा जाता है।

■ रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गत वर्ष भारत के परमाणु अस्त्र मामूली वृद्धि के साथ 190 तक पहुंच गए थे।

बार 12 परमाणु वॉरहेड तैनात किए हैं। यह दशकों पुरानी उस नीति में एक बड़ा बदलाव है, जिसके तहत परमाणु वॉरहेड और उनके प्रक्षेपण सिस्टम

(डिलीवरी सिस्टम) को अलग-अलग भंडारण स्थलों में रखा जाता था। रिपोर्ट के अनुसार, यह पहला अवसर है, जब भारत के परमाणु

सस्त्रागार को केवल भण्डार के रूप में (स्टॉकपाइल) नहीं, बल्कि संचालनात्मक रूप से तैनात (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक

पटना, 09 जून। फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार महार के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्ड की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गयी थी।

शनिवार को खान सर के कोर्ट में सॉर्टडर करने की खबर आयी थी, लेकिन उन्होंने सॉर्टडर नहीं किया। उनके वकील

■ पटना सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया, अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

अरविंद कुमार महार ने बताया था कि शनिवार को कोर्ट 1:30 बजे बंद हो गया, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं कर पाए। इसके बाद सोमवार को खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

साज़िशों के शिकार बेचारे अशोक गहलोत

75 वर्षीय अशोक गहलोत की हताशा अपने चरम पर है, क्या इसलिए वे “विक्टिम कार्ड” खेल रहे हैं

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जून। अशोक गहलोत क्या इसलिए अपने आपको साजिशों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, पिछले तीन सालों से नेहरू- गांधी परिवार ने उन्हें लंबी बातचीत का कोई अवसर नहीं दिया या फिर उन्हें ए.आई.सी.सी. के अहम पदों, जैसे कि कोषाध्यक्ष और संगठन के प्रभारी महासचिव जैसे अहम पदों को खोलने का डर है, क्या इस हताशा ने पिछले कुछ दिनों में गहलोत को इतना मुखर बना दिया है।

जयपुर में गहलोत ने स्वयं ही उस शर्मनाक घटना को फिर से उठाकर नया रंग देने की कोशिश की, जिसमें एक पुराना सच्चा तथा निष्ठावान कांग्रेसी होने के उनके दावे की धजियाँ उड़ा दी थीं। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने से इन्कार करके सोनिया गांधी और पार्टी के बाकी नेताओं को चौंका दिया था।

यह वही समय था, जब सोनिया गांधी ने गहलोत से अखिल भारतीय

■ अशोक गहलोत की हताशा का मूल कारण है, पार्टी नेतृत्व और गांधी परिवार द्वारा उन्हें पूर्णतया अनदेखा करना। राज्यसभा के लिए उनके नाम पर विचार तक नहीं किया गया। गांधी परिवार ने तीन साल से उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया है और ना ही पार्टी में कोई बड़ा पद मिला है।

■ इसी हताशा में उन्होंने उस कुख्यात प्रसंग को फिर से छेड़ दिया, जिसने न केवल सच्चे व निष्ठावान कांग्रेस होने के उनके दावे की धजियाँ उड़ा दी थीं, बल्कि गांधी परिवार को भी स्तब्ध कर दिया था।

कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 88 वें अध्यक्ष के तौर पर काम संभालने के लिए दिल्ली आने को कहा था। लेकिन गहलोत को आशंका थी कि उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी कारण उन्होंने पार्टी हाई कमान के फैसले को न मानने के लिए पार्टी के 92 विधायकों को उकसाया।

हाल ही में, 7 जून 2026 को गहलोत ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के

खिलाफ विद्रोह किया था। उनका कहना था कि यह विधायकों ने किया था और वे पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे थे, न कि केन्द्रीय नेतृत्व का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया की रिपोर्टिंग के कारण लोगों के बीच उक्त स्थिति की गलत छवि बनी।

अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें लगता है कि पूरी घटना की गलत व्याख्या की गई और उन्हें तो यह एक (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

दुबई में सड़क हादसे में 7 भारतीयों की मौत

दुबई, 09 जून। दुबई में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

दुबई पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ, जब एक

■ भारतीय श्रमिकों की एक मिनी बस सड़क के बीच में खड़े ट्रक से टकरा गई, हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं।

मिनीबस सड़क के बीच तकनीकी खराबी के कारण खड़े एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक अचानक बीच सड़क पर रुक गया था।

दुबई पुलिस के यातायात विभाग के महानिदेशक ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने बताया कि बस चालक पर्याप्त सावधानी नहीं बरत सका और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफल

रहा, जिसके कारण यह टक्कर हुई। दुर्घटना में सात लोगों की मौतें पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हुए हैं। घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई गई है, जबकि चार अन्य को मध्यम श्रेणी की चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

‘एच-1बी वीजा पर एक लाख डॉलर नहीं देने होंगे’
बोस्टन (वाशिंगटन), 09 जून। अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा आवेदन पर लगाए गए एक लाख डॉलर के शुल्क को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस अधिनियम के लिए एक झटका है, जिसका मकसद इमिग्रेशन को सीमित करना और अमेरिकी कर्मचारियों की मांग को बढ़ाना था। इस फैसले को अमेरिकी टेक कंपनियों और हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मैसाचुसेट्स में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो टी. सोरोकिन ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि एच-1बी वीजा पर लगाया गया एक लाख डॉलर का शुल्क वास्तव में एक टैक्स था, जिसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। अदालत ने इस आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया।

खो नागोरियान में अवैध पटाखा गोदाम में आग से आठ की मौत

गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली

जयपुर, 9 जून। खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के करीब नगर-बी स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुए भीषण अग्निकांड और विस्फोट में एक बच्चे सहित आठ लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। रिहायशी इलाके में संचालित इस अवैध फैक्ट्री को लेकर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस के अनुसार, मकान संख्या-88 में अवैध रूप से शादी समारोह में उपयोग होने वाले पटाखों की पैकिंग का काम किया जा रहा था। यह मकान

■ पुलिस के अनुसार, मकान मालिक याकूब ने यह भवन दिल्ली निवासी फिरोज को किराये पर दे रखा था। फिरोज अपने सहयोगी वसीम के साथ यहाँ अवैध पटाखों का गोदाम चला रहा था।

याकूब पुत्र नजीर खान निवासी राक्ष्या की ढाणी, खोह नागोरियान का बताया गया है। याकूब ने मकान दिल्ली निवासी फिरोज को किराए पर दे रखा था। फिरोज अपने साथी वसीम के साथ यहाँ अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था। हादसे के बाद से दोनों संचालक और मकान मालिक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

अग्निकांड में मोहम्मद अशरफ

(40) पुत्र मोहम्मद शकील निवासी पीरजी कॉलोनी, मोहम्मद रज्बिल (16) पुत्र मोहम्मद सिकंदर निवासी करीम नगर-2 तलाई, अब्दुल वहीद (46) पुत्र अब्दुल अजीज निवासी रहीम नगर, समीर खान (20) पुत्र अनीस खान निवासी रहीम नगर, बिलाल खान (28) पुत्र नासिर खान निवासी रहीम नगर, आजीम खान (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी 13 से 19 जून को विदेश यात्रा पर जाएंगे

नई दिल्ली, 09 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-19 जून के बीच फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान, प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान वे जी7 नेताओं और आमंत्रित भागीदार देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री फ्रांस में 13-14 जून (नीस) और 16-19 जून (एवियन और पेरिस) की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री 14 जून को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा होगी।

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जून। जब ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिलने गईं हुईं थीं, उसी समय कोलकाता पुलिस की जांच एजेंसी सीआईडी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस (30 बी हरीश चंद्र स्ट्रीट) पहुंची। यह टीम हस्ताक्षरों में धोखाधड़ी से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के लिए वहाँ गई थी। यह कार्यालय उसी परिसर में स्थित है, जहां ममता बनर्जी का घर है। दिलचस्प

बात यह है कि यह पूरा बड़ा आवासीय परिसर वास्तव में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर बना हुआ है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद सीआईडी ने पार्टी कार्यालय पर छापा मारा। इस अपराध में अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। जालसाजी के मामले में अभिषेक बनर्जी गंभीर रूप से फंसते दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए आरोपों के परिणामों से बचना कठिन हो सकता है। अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर

■ सीआईडी की रेड, अभिषेक बनर्जी पर लगे फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों के सिलसिले में की गई थी। इस मामले में अभिषेक बनर्जी बुरी तरह फंसे दिख रहे हैं। अपराध साबित हुआ तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है।
■ अभिषेक पर आरोप है कि उन्होंने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने के लिए 6 मई को जो पत्र विधानसभा स्पीकर को भेजा था, उसमें कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे।

जालसाजी की शिकायतों की जांच के लिए सीआईडी कार्यालय में उपस्थित होने के तीन नोटिस दिए गए थे। कम से कम चौदह निर्वाचित विधायकों ने कहा

था कि उन्होंने विपक्ष के नेता को नॉमिनेट करने वाले दस्तावेज पर साइन नहीं किए थे। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नॉमिनेट किया था। 6 मई को अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि 30वीं हरीश चट्टोजी स्ट्रीट स्थित पार्टी बैठक में विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया था। अभिषेक बनर्जी के पत्र में पार्टी के दो पते दिए गए थे- एक 30वीं हरीश चट्टोजी रोड और दूसरा 8 कैमैक स्ट्रीट

(जो अभिषेक बनर्जी कार्यालय है)। एक पूर्व विधायक ने सीआईडी टीम का विरोध किया और दावा किया कि कार्यालय का इंचार्ज वही है। अगले दिन ऋतुब्रत बनर्जी ने कहा कि पत्र पर मौजूद कई विधायकों के हस्ताक्षर असली नहीं थे। उनके अनुसार, ये हस्ताक्षर जाली थे। सीआईडी उस प्रस्ताव-पुस्तिका (रिजॉल्यूशन बुक) को ढूंढ रही थी, जिसमें प्रस्ताव दर्ज और पास किया गया था। रिजॉल्यूशन बुक ऑफिस में होनी चाहिए थी। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

एमपी में राज्यसभा की तीनों सीटें भाजपा के खाते में

भोपाल, 09 जून। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगमी के बीच तीसरी सीट की कांग्रेस उम्मीदवार

■ तीसरी सीट कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन मैदान में थी, पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया, आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना के एक केस की बात छिपाई थी।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। भाजपा की (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)